न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)

रा.अ.प्र.क्र.–202506260300071 /अ–62/2024–25

साकिन लटोरी, तहसील लटोरी

हिरेन्द्रमय बक्शी, पिता विश्वनाथ,
निवासी ग्राम गणेशपुर, तहसील लटोरी
जिला सूरजपुर (छ.ग.)

.............आवेदक

प्रति,

.................अनावेदक

छ.ग. शासन

//आदेश//

(पारित दिनांक:–27/06/2025)

यह प्रकरण आवेदक हिरेन्द्रमय बक्शी, पिता विश्वनाथ, निवासी ग्राम गणेशपुर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.) जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम गणेशपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा–1.4000 हे0 भूमि पर स्थित जामुन के वृक्ष को काटने की अनुमति बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर राजस्व एवं वन विभाग से प्रतिवेदन लिया गया। राजस्व निरीक्षक, पिलखा तहसील लटोरी एवं वन उप परिक्षेत्र अधिकारी जयनगर के द्वारा अपने संयुक्त प्रतिवेदन दिनांक–30.04.2025 में उल्लेख किया गया है कि, ग्राम गणेशपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 952 रकबा–1.4000 हे0 भूमि पर स्थित 09 नग जामुन वृक्ष कटाई हेतु अनापत्ति प्रमाण देने के संबंध में मौका जांच किया गया। मौका जांच में पाया गया कि ग्राम कमलपुर प.ह. नं. 021 स्थित भूमि खसरा क्रमांक 952, रकबा 1.4000 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में हिरेन्द्रमय बक्शी आ. विश्वनाथ के नाम पर दर्ज है। उपस्थित ग्रामवासियों के द्वारा आवेदक की भूमि पर 09 नग जामुन 30 वर्ष पूर्व स्वयं द्वारा रोपित करना बतलाया गया। आवेदक की भूमि पर 09 नग जामुन वृक्ष ग्रामवासियों की उपस्थिति में मार्किंग किया गया जिसकी गोलाई व अनुमानित ऊंचाई निम्नानुसार है:–
कुल 09 नग जामुन वृक्ष की गोलाई (इंच में) क्रमशः 60, 72, 80, 55, 48, 62, 71, 49, 55 एवं अनुमानित ऊंचाई(मीटर में) क्रमशः 16, 15, 14, 13, 16, 18, 13, 15, 14 है।

3. आवेदक के द्वारा अपने शपथ पूर्वक कथन दिनांक– 21.05.2025 में बताया गया कि, अपने स्वामित्व की ग्राम गणेशपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 952, रकबा 1.4000 हे0 भूमि पर पुराने समय से स्थित 09 नग जामुन के वृक्ष जो मोटा एवं बड़ा हो चुका है। उक्त वृक्षों की कटाई कराने की अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने का कष्ट करें, जिसके लिए सभी शर्ते मुझे मान्य है।

4. राजस्व निरीक्षक एवं वन विभाग उप परिक्षेत्र अधिकारी जयनगर के द्वारा प्ररूप–घ में संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पंचनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निरीक्षण के दौरान आवेदक हिरेन्द्रमय बक्शी, ग्राम पंचायत सरपंच, हल्का पटवारी नरेन्द्र बखला एवं स्वतंत्र स्थानीय साक्षी विष्णु, सुमित, सोनूदास, हरिहर एवं मिलन उपस्थित रहे। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि, आवेदित भूमि ग्राम गणेशपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 952, रकबा 1.4000 हे0 भूमि में खाते पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्याा व परिपक्व वृक्षों की प्रजाति की संख्या मौके पर जामुन 09 नग, के वृक्ष पाये गये। पंचनामा रिपोर्ट में मौका जांच आवेदक एवं अन्य ग्रामवासियों (पंचनामा में अधोहस्ताक्षरित) द्वारा बताया गया कि उक्त वृक्षों को आवेदक हिरेन्द्रमय बक्शी द्वारा अपनी भूमि पर स्वयं रोपित किया गया था। ग्रमवासियों की उपस्थिति में आवेदक की भूमि पर स्थित 09 नग जामुन वृक्षों की गणना कर मार्किंग किया गया, का उल्लेख किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर,जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक–11 फरवरी 2022 के कण्डिका 08 रोपित वृक्षों की कटाईः–(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।''

अतएव आवेदक हिरेन्द्रमय बक्शी, पिता विश्वनाथ, निवासी ग्राम गणेशपुर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.) जिला सूरजपुर (छ.ग.) के द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम गणेशपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 952, रकबा 1.4000 हे0 भूमि पर पुराने समय से स्थित 09 नग जामुन के वृक्षों को काटे जाने की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 व छ.ग. राजपत्र (असाधारण) के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 में दिये गये प्रावधानों के एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 152 के तहत् प्रदान की जाती है।

4.2 शर्तेः–

(एक) वृक्षों की कटाई, छत्तीसगण वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सूनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करेंगे एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जायेगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 06 फिट के वृक्ष रोपित किये जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अधोहस्तक्षरकर्ता के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दी जायेगी।

आज दिनांक–27/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा सहित आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित्।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. /2473/ वाचक–1/2025 **सूरजपुर, दिनांक 27/06/2025**

प्रतिलिपि,

1. वनमण्डलाधिकारी, सूरजपुर , जिला सूरजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार लटोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. आवेदक हिरेन्द्रमय बक्शी, पिता विश्वनाथ, निवासी ग्राम गणेशपुर, तहसील लटोरी जिला सूरजपुर (छ.ग.) जिला सूरजपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)